# न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
भागीरथ राम (आरटीएस)

मि.न.– 98/2018 दिनांक–25.1.2019

सरकार बनाम कल्लाराम

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नांगल पण्डितपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम टमोरीवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 307 रकबा 47.16है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.01है0 पर कल्लाराम पुत्र प्रभाता जाति गुजर्र निवासी टमोरीवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने बोंरिग बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आया । इसलिए गैरसायल के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है।पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है। जिसके अनुसार खसरा नंबर 307 वाके ग्राम टमोरीवास की किस्म गै0 मु0 नदी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर अतिक्रमण कर नदी के स्वरूप को क्षति पहूचाने का है जिसमे माननीय उच्च न्यायालय राज0 द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीसन न.1536/2013 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय दिनांक 2.8.2004 में गै0मु0 नदी0 ,तालाब, जोहड,भराव,बहाव क्षेत्र की 1947की स्थिति कायम रखने के आदेश प्राप्त हैं।

अतः गैरसायल कल्लाराम पुत्र प्रभाता जाति गुजर्र निवासी टमोरीवार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा वाके ग्राम टमोरीवास के खसरा नंबर 307/47.16 है0 में से 0.01है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी पर बोरिग बनाकर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्व होता है अतः अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

वर्ष 2018 ... के पृष्ठ संख्या 06 पर 02
5.50 रुपये कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली

अतः कल्लाराम पुत्र प्रभाता जाति गुजर्र निवासी टमोरीवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम टमोरीवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 307/47.16है0,किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मे से 0.01है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर बनाई गई बोरिग को घ्वस्त कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा उक्त बोरिंग पर जारी शुदा विधुत कनक्शन विच्छेद की कार्यवाही की जाने व नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.11का पचास गुणा 5.50 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । जारी शुदा अवैध विधुत कनक्शन विच्छेद हेतु सहायक अभियन्ता विधुत वितरण निगम लि0कोटपूतली को लिखा जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 25.1.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।